

बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम अधिनियम, 1838

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. निगमन ।
2. वाद लाने या वाद लाए जाने और सम्पत्ति अर्जित, धारित तथा अन्तरित करने की शक्ति ।
3. पूंजी स्टॉक और शेयर ।
4. स्वत्वधारियों के नाम का रजिस्ट्रीकरण । रजिस्टर का निरीक्षण के लिए खुला रखा जाना ।
5. शेयर प्रमाणपत्र ।
6. शेयरों का अन्तरण ।
7. शेयरों के स्वत्वधारी संगम के सदस्य होंगे ।
8. संगम के प्रथम निदेशक ।
9. निदेशकों का हटाया जाना तथा निर्वाचन ।
10. निदेशकों का चक्रानुक्रम में हटाना ।
11. उत्तरवर्ती का निर्वाचन जब निदेशक चक्रानुक्रम की रीति से अन्यथा ऐसा नहीं रह जाता ।
12. निदेशकों की अर्हताएं ।
13. निदेशक का बंगाल प्रेसिडेन्सी का निवासी होना ।
14. साधारण अधिवेशन ।
15. साधारण अधिवेशन का मुलतवी क्रिया जाना ।
16. असामान्य साधारण अधिवेशन ।
17. साधारण अधिवेशन में मत; मत के लिए अर्हताएं ।
18. मतों की संख्या जिसके स्वत्वधारी हकदार हैं ।
19. शेयरों के संयुक्त स्वत्वधारियों का मत ।
20. परोक्षी द्वारा मत ।
21. निदेशकों का प्राधिकार ।
22. शेयर की रकम के लिए काल ।
23. प्रत्येक काल पर ब्याज मिलता रहेगा । असंदत्त कालों को चुकाने के लिए लाभांश का लगाया जाना ।
24. व्यतिक्रमी स्वत्वधारियों द्वारा अन्तरण का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करने की शक्ति । कालों को चुकाने के लिए शेयर का विक्रय करने और नए प्रमाणपत्र देने की शक्ति ।
25. 1836 के अधिनियम संख्यांक 25 का संगम के भाण्डागारों पर विस्तारण ।
26. आयात और निर्यात शुल्क के संदाय के लिए साधारण प्रतिभूति देने की शक्ति ।
27. भाण्डागारण की दरें ।
28. निक्षेप प्रमाणपत्र पृष्ठांकन द्वारा अन्तरणीय होंगे ।

धाराएं

29. संगम के विरुद्ध वाद ।
30. संगम का संयुक्त स्टोक ।
31. व्यक्तिगत सदस्य दायित्वाधीन नहीं होंगे ।
32. उपविधि ।
33. पूंजी स्टोक में वृद्धि ।
34. मूल स्वत्वधारियों को अभिदाय करने का प्रथमतः विकल्प ।
35. अधिनियम के उपबन्धों का अतिरिक्त स्टोक को लागू होना ।
36. ईस्ट इण्डिया कम्पनी को शुफा का अधिकार होगा ।
37. सपरिषद् गवर्नर जनरल के आदेश द्वारा संगम का विघटन ।
38. स्वत्वधारियों की प्रस्तावना द्वारा संगम का विघटन ।
39. विघटन पर संपत्ति का विभाजन ।

बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम अधिनियम, 1838

(1838 का अधिनियम संख्यांक 5)

[14 मार्च, 1838]

1. **निगमन**—एतद्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि वे व्यक्ति जिनके नाम इससे उपाबद्ध अनुसूची संख्यांक 1 में उल्लिखित हैं 1838 के मार्च के चौदहवें दिन से या तो बन्धपत्राधीन या अन्यथा, माल भाण्डागारण के लिए बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम के नाम से एक निगमित निकाय होंगे।

2. **वाद लाने या वाद लाए जाने और सम्पत्ति अर्जित, धारित तथा अन्तरित करने की शक्ति**—^{1***} उक्त संगम अपने निगमित नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा और वह ऐसी सामान्य मुद्रा का प्रयोग करेगा जैसी उक्त संगम के निदेशक समय-समय पर नियत करें और किसी भी वर्णन की सम्पत्ति चाहे कोई हो अर्जित कर सकेगा, पूर्ण रूप से या गिरवी के तौर पर उसे धारित कर सकेगा और अन्तरित कर सकेगा।

3. **पूंजी स्टाक और शेयर**—^{1***} उक्त संगम के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा निगमित व्यक्तियों द्वारा प्रतिश्रुत 10,00,000 रुपए की रकम उक्त संगम का पूंजी स्टाक होगी और इसे 2000 रुपए के शेयरों में विभाजित किया जाएगा जिनमें से प्रत्येक 500 रुपए का होगा और ^{2***} इसके द्वारा निगमित व्यक्तियों में से हर एक का ऐसे पूंजी स्टाक में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिश्रुत हर 500 रुपए का एक शेयर होगा।

4. **स्वत्वधारियों के नाम का रजिस्ट्रीकरण। रजिस्टर का निरीक्षण के लिए खुला रखा जाना**—^{1***} उक्त संगम के निदेशक उक्त पूंजी स्टाक में शेयर स्वत्वधारियों के नाम, अभिनाम और निवास स्थान तथा प्रत्येक स्वत्वधारी द्वारा धारित शेयरों की संख्या एक पुस्तक में रजिस्टर कराएंगे और उक्त शेयर ऐसी पुस्तक में संख्यांकित किए जाएंगे जो संख्या 1 से आरम्भ होगी तथा ऐसी पुस्तक उक्त संगम के कार्यालय में रखी जाएगी और कामकाज के प्रायिक समय के दौरान सभी व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

5. **शेयर प्रमाणपत्र**—^{1***} उक्त संगम के तीन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र उक्त पूंजी स्टाक के प्रत्येक स्वत्वधारी को परिदत्त किया जाएगा और, ^{2***} अनेक शेयरों के प्रत्येक स्वत्वधारी को विकल्प होगा कि ऐसे स्वत्वधारी के सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र या उन शेयरों में से प्रत्येक के लिए एक प्रमाणपत्र या अधिक प्रमाणपत्र प्राप्त करे जिनमें से प्रत्येक उन शेयरों की किसी भी संख्या के लिए हो सकेगा।

6. **शेयरों का अन्तरण**—^{1***} उक्त पूंजी स्टाक का कोई शेयर या उसके कोई शेयर ऐसे शेयर या शेयरों के स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे स्वत्वधारी के इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अटर्नी द्वारा ऐसे शेयर या शेयरों के लिए प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन करके अन्तरित किए जा सकेंगे : परन्तु सदैव यह कि ऐसे पृष्ठांकन में उस पक्षकार का नाम विनिर्दिष्ट होगा जिसको अन्तरण किया जाए : परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई पृष्ठांकन किसी ऐसे शेयर या शेयरों के अन्तरण के लिए प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उक्त संगम के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में ऐसा पृष्ठांकन रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो और जब तक कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण और उसकी तारीख का एक टिप्पण पृष्ठांकित प्रमाणपत्र के पृष्ठ पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर से न कर दिया गया हो जिसे उक्त संगम के निदेशकों में इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया हो।

7. **शेयरों के स्वत्वधारी संगम के सदस्य होंगे**—^{1***} ऐसे पूंजी स्टाक के शेयर का प्रत्येक स्वत्वधारी, जो ऐसे स्टाक का स्वत्वधारी नहीं रहेगा, इस अधिनियम द्वारा सृष्ट निगम का सदस्य नहीं रहेगा; और ^{2***} प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त पूंजी स्टाक का स्वत्वधारी बनेगा, इस अधिनियम द्वारा सृष्ट निगम का सदस्य बनेगा; और उक्त पूंजी स्टाक में अपने शेयर या शेयरों के सम्बन्ध में उसके वही दायित्व होंगे जो उक्त पूंजी स्टाक के मूल स्वत्वधारी के हों।

8. **संगम के प्रथम निदेशक**—^{1***} उक्त संगम के कारबार का प्रबन्ध छह निदेशकों द्वारा किया जाएगा और ^{2***} सर्वश्री फ्रांसीस मेक्वाटन, जोजफ वॉकर, जेस्पर ऊस ले, रिचर्ड हो काकिरिल, अलेक्सैण्डर कालविन, जोजफ विलिस और जेम्स चर्च उक्त संगम के प्रथम निदेशक होंगे।

9. **निदेशकों का हटाया जाना तथा निर्वाचन**—^{1***} उक्त संगम का प्रत्येक निदेशक स्वत्वधारियों के साधारण अधिवेशन द्वारा हटाया जा सकेगा और ^{2***} उक्त संगम का प्रत्येक आगामी निदेशक ऐसे साधारण अधिवेशन द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

10. **निदेशकों का चक्रानुक्रम में हटाना**—^{1***} उक्त संगम के निदेशकों के बीच चक्रानुक्रम पचीं डालकर निश्चित किया जाएगा जिससे उक्त निदेशकों में से दो प्रत्येक वर्ष मई की पन्द्रह तारीख के ठीक बाद के सोमवार को हट जाएंगे और ^{2***} प्रत्येक वर्ष मई की पन्द्रह तारीख के ठीक बाद के सोमवार को स्वत्वधारियों का एक साधारण अधिवेशन होगा जिसमें दो निदेशक चुने जाएंगे और यह कि ऐसे

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "और एतद्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का लोप किया गया।

² 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "कि" शब्द का लोप किया गया।

चक्रानुक्रम द्वारा हटने वाला कोई निदेशक ठीक पश्चात्पूर्वी वर्ष की 15 मई के पश्चात् के सोमवार तक पुनः निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा।

11. उत्तरवर्ती का निर्वाचन जब निदेशक चक्रानुक्रम की रीति से अन्यथा ऐसा नहीं रह जाता—^{1*}** यदि उक्त संगम का कोई निदेशक पूर्वोक्त चक्रानुक्रम नियम के प्रवर्तन से अन्यथा किसी रीति से निदेशक नहीं रहेगा तो उक्त संगम के निदेशक सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसी सार्वजनिक सूचना के पश्चात् जैसा इसमें इसके पश्चात् निदेशित है स्वत्वधारियों का एक असामान्य साधारण अधिवेशन उत्तरवर्ती का चुनाव करने के लिए बुलाएंगे और ऐसा उत्तरवर्ती पूर्वोक्त चक्रानुक्रम में उसी स्थान पर आएगा जिसमें वह निदेशक था जिसका वह उत्तरवर्ती है।

12. [निदेशकों की अर्हताएं।]—1854 के अधिनियम सं० 5 की धारा 1 द्वारा निरसित।

13. निदेशक का बंगाल प्रेसिडेन्सी का निवासी होना—^{1*}** कोई व्यक्ति उक्त संगम का निदेशक होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह राज्यक्षेत्र का निवासी नहीं है जो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी के अधीन है।

14. [साधारण अधिवेशन।]—1854 के अधिनियम सं० 5 की धारा 1 द्वारा निरसित।

15. साधारण अधिवेशन का मुलतवी किया जाना—^{1*}** उक्त संगम का कोई सामान्य साधारण अधिवेशन स्वयं किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए मुलतवी हो सकेगा और उस दिन जिस दिन के लिए वह स्वयं मुलतवी हो गया हो, अपनी कार्यवाही पुनरारम्भ करेगा और कोई कारबार कर सकेगा जिसे वह उस दिन करने के लिए सक्षम था जिस दिन वह मूलतः अधिविष्ट हुआ था।

16. असामान्य साधारण अधिवेशन—^{1*}** उक्त संगम के असामान्य साधारण अधिवेशन ऐसे नियमों के अनुसार किए जा सकेंगे जैसे इस प्रयोजन के लिए उक्त संगम की उपविधि में बनाए जाएं :

परन्तु सदैव यह कि ऐसा कोई असामान्य साधारण अधिवेशन कम से कम चौदह दिन की पूर्व सूचना के बिना नहीं किया जाएगा और इस सूचना को कलकत्ता में छपने वाले कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

17. साधारण अधिवेशन में मत; मत के लिए अर्हताएं—^{1*}** प्रत्येक निर्वाचन और प्रश्न स्वत्वधारियों के साधारण अधिवेशन में बहुमत से निश्चित किए जाएंगे और ^{2***} किसी भी स्वत्वधारी को मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त संगम के पूंजी स्टॉक के दो या अधिक शेयर उसके स्वामित्व में नहीं हों और ये शेयर कम से कम तीन कलेंडर मास पूर्व उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत होने चाहिए।

18. मतों की संख्या जिसके स्वत्वधारी हकदार हैं—^{1*}** ऐसे साधारण अधिवेशनों में किसी स्वत्वधारी के आठ से अधिक मत नहीं होंगे और ^{2***} स्वत्वधारी निम्नलिखित मापमान के अनुसार मत देंगे :—

2 शेयर हकदार बनाएंगे	1 मत का
4 शेयर हकदार बनाएंगे.	2 मत का
6 शेयर हकदार बनाएंगे.	3 मत का
10 शेयर हकदार बनाएंगे.	4 मत का
20 शेयर हकदार बनाएंगे.	6 मत का
35 शेयर हकदार बनाएंगे.	7 मत का
50 शेयर हकदार बनाएंगे.	8 मत का।

19. शेयरों के संयुक्त स्वत्वधारियों का मत—^{1*}** यदि एक से अधिक व्यक्ति जो व्यवसाय में भागीदार हैं और उक्त पूंजी स्टॉक के दो या अधिक शेयरों के संयुक्त स्वत्वधारी हैं और संयुक्त मत या मतों के देने में सहमत हैं तो ऐसे एकल स्वत्वधारी के संयुक्त मत ग्रहण किए जाएंगे।

20. परोक्षी द्वारा मत—^{1*}** प्रत्येक स्वत्वधारी, जो किसी साधारण अधिवेशन में मत देने का हकदार हो, एक साधारण या विशेष, सीमित या असीमित और अपने या ऐसा करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित परोक्षी, किसी अन्य स्वत्वधारी को देगा और ^{2***} वह स्वत्वधारी जिसको परोक्षी दी गई हो उस स्वत्वधारी की ओर से जिसने परोक्षी दी थी, ऐसी परोक्षी के निबन्धनों के अनुसार मत दे सकेगा।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "और एतद्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का लोप किया गया।

² 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "कि" शब्द का लोप किया गया।

21. निदेशकों का प्राधिकार—^{1***} उक्त संगम के निदेशकों को भाण्डागारों के क्रय तथा निर्माण और उनमें माल को भाण्डागारित या बन्धपत्रित करने के प्रयोजन के लिए उक्त संगम की रकम खर्च करने और उक्त प्रयोजन के लिए संविदाएं करने या उनकी पूर्ति करने और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे जैसे आवश्यक हों सेवक नियुक्त करने या उनको हटाने के लिए और उक्त संगम के सभी उद्यमों का साधारणतया प्रबन्ध ऐसे नियमों के अधीन करने जैसे कि उक्त संगम की उपविधियों में अधिकथित हैं और उक्त संगम की मोहर रखने और उक्त मोहर का उक्त संगम के कार्य में उपयोग करने का प्राधिकार होगा परन्तु सदैव यह शर्त है कि उक्त मोहर किसी लिखत पर तभी लगाई जाएगी जब तीन निदेशक उपस्थित हों और उनकी सम्मति हो। ये निदेशक ऐसी प्रत्येक लिखत पर अपने नाम का हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति और सम्मति के संकेत के रूप में करेंगे।

22. शेयर की रकम के लिए काल—^{1***} उक्त संगम के निदेशकों को प्राधिकार होगा कि वे स्वत्वधारियों से ऐसी किस्त या किस्तें देने की अपेक्षा करें जो पहले से संदत्त किस्तों को मिलाकर उतनी रकम होगी जो प्रत्येक शेयर पर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और ^{2***} कोई अतिरिक्त काल नहीं की जाएगी सिवाय उस काल के जो स्वत्वधारियों के साधारण अधिवेशन के मत के परिणामस्वरूप हो जिसके द्वारा ऐसी अतिरिक्त काल प्राधिकृत की गई हो, परन्तु सदैव यह कि किसी भी स्वत्वधारी से अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी अन्य स्वत्वधारी से पूंजी स्टाक में अपने शेयर के अनुपात से अधिक संदाय करे।

23. प्रत्येक काल पर ब्याज मिलता रहेगा। असंदत्त कालों को चुकाने के लिए लाभांश का लगाया जाना—^{1***} यदि कोई स्वत्वधारी कोई किस्त जिसके संदत्त करने की उससे विधिना अपेक्षा की गई है, पूर्वोक्त धारा में वर्णित रीति में ऐसे संदाय के लिए नियुक्त दिन को संदत्त नहीं करेगा तो उक्त संगम न्यून रकम पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के लिए ऐसे स्वत्वधारी के विरुद्ध दावा करेगा; और ^{2***} उक्त संगम के निदेशकों के लिए विधिपूर्ण होगा कि ऐसी किस्त और ऐसे ब्याज को चुकाने में ऐसे स्वत्वधारी को शोधय कोई लाभांश लगा दें और इस प्रकार विनियोजित प्रत्येक लाभांश उक्त संगम के उक्त स्वत्वधारी के खाते में डाल दें।

24. व्यतिक्रमी स्वत्वधारियों द्वारा अन्तरण का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करने की शक्ति। कालों को चुकाने के लिए शेयर का विक्रय करने और नए प्रमाणपत्र देने की शक्ति—^{1***} उक्त संगम के निदेशकों के लिए वैध होगा कि किसी स्वत्वधारी के, जिसने उपरोक्त किस्त और ब्याज संदत्त नहीं किया है, स्वामित्व में के किसी शेयर के अन्तरण को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करे, और ^{2***} यदि ऐसी किस्त और ब्याज उसके संदाय करने की उक्त निदेशकों द्वारा सूचना के पश्चात् दो मास के भीतर नहीं दिया जाएगा तो उक्त निदेशकों के लिए विधिपूर्ण होगा कि ऐसे स्वत्वधारी के शेयर या शेयरों का उस विस्तार तक जो ऐसी किस्त और ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त हो लोक नीलाम द्वारा विक्रय करे और ऐसे विक्रय पर ऐसे शेयर या शेयरों के क्रेता को एक नया प्रमाणपत्र या नए प्रमाणपत्र अनुदत्त करे और यदि ऐसी किस्त और ब्याज की तुष्टि के पश्चात् यदि कोई अवशेष रहता है तो ऐसे शेयर या शेयरों के स्वत्वधारी की मांग पर ऐसा अवशेष उक्त संगम की पुस्तकों में ऐसे स्वत्वधारी के खाते में जमा कर दिया जाएगा परन्तु इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

25. 1836 के अधिनियम संख्यांक 25 का संगम के भाण्डागारों पर विस्तारण—^{1***} सपरिषद् गवर्नर जनरल आफ इण्डिया के 1836 के अधिनियम संख्यांक 25³ के सभी उपबन्ध जो प्राइवेट अनुज्ञप्त भाण्डागारों से सम्बन्धित हैं, उन सभी भाण्डागारों को लागू होंगे जिनमें उक्त संगम बन्धपत्रित माल प्राप्त करता है।

26. आयात और निर्यात शुल्क के संदाय के लिए साधारण प्रतिभूति देने की शक्ति—^{1***} उक्त संगम के लिए विधिपूर्ण होगा कि उक्त संगम की मुद्रा से अंकित बन्धपत्र उक्त द्वारा माल पर जो उक्त संगम के किसी भाण्डागार में रखा जाए आयात के पूर्ण शुल्कों के संदाय के लिए या ऐसे माल के सम्यक् निर्यात के लिए साधारण प्रतिभूति दे, और यदि उक्त संगम ऐसा बन्धपत्र देगा तो उसके बारे में किसी अन्य पक्षकार से प्रतिभूति अपेक्षित नहीं होगी।

27. भाण्डागारण की दरें—^{1***} उक्त संगम के निदेशक समय-समय पर वह दरें नियत करेंगे जिन पर उक्त संगम माल का भाण्डागार करेगा या माल अपने घाटों पर प्राप्त करेगा और ^{2***} ऐसी दरों की सारणी उक्त संगम के प्रत्येक भाण्डागार और घाट पर रखी जाएगी।

28. निक्षेप प्रमाणपत्र पृष्ठांकन द्वारा अन्तरणीय होंगे—^{1***} जितनी बार कोई माल उक्त संगम के किसी भाण्डागार में रखा जाएगा, उक्त संगम का सचिव ऐसे सचिव के रूप में अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक वारंट ऐसा माल रखवाने वाले को प्रदत्त करेगा जो वारण्ट यथासंभव उसी प्ररूप में होगा जो इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 2 में वर्णित हैं और ऐसा वारण्ट पृष्ठांकन द्वारा अन्तरणीय होगा और जिस व्यक्ति को वह इस प्रकार पृष्ठांकन द्वारा अन्तरित किया गया हो उसे ऐसे वारण्ट में विनिर्दिष्ट माल उन्हीं शर्तों पर प्राप्त करने का हकदार बनाएगा जिन पर वह व्यक्ति जिसने मूलतः उस माल को रखवाया था उसे प्राप्त करने का हकदार होता।

29. संगम के विरुद्ध वाद—^{1***} उक्त संगम के विरुद्ध लाए गए सभी वाद बंगाल में फोर्ट विलियम के सुप्रीम कोर्ट आफ जुडिकेचर में लाए जाएंगे।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का लोप किया गया।

² 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "कि" शब्द का लोप किया गया।

³ निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) द्वारा निरसित।

30. संगम का संयुक्त स्टाक—^{1***} उक्त संगम का सभी संयुक्त स्टाक चाहे वह किसी भी किस्म या वर्णन का हो और उसके द्वारा अर्जित सभी भूमि, भांडागार, हवेलियां, धृतियां, दाय, परिसर और सम्पत्ति जिसका स्वामित्व, हक या हित उक्त संगम को किसी प्रकार हो जाएगा क्रमशः उसके स्वत्वधारियों तथा उन स्वत्वधारियों के उत्तराधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत संपदा के रूप में या जंगम संपदा में हित के रूप में न कि स्थावर सम्पदा के रूप में या उसके तौर पर धारित की जाएगी और उपयोग में लाई जाएगी।

31. व्यक्तिगत सदस्य दायित्वाधीन नहीं होंगे—^{1***} शेयरों के स्वत्वधारियों का दायित्व परिनिश्चित करने और स्वयं उन्हें और उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों की नुकसानी से रक्षा करने के लिए, कोई भी स्वत्वधारी, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि या समनुदेशित व्यक्तिगत रूप से किसी भी दशा में स्वत्वधारी होने के कारण या उक्त संगम के या उसके निदेशकों या सचिव के किन्हीं कार्यों, कर्मों, संविदाओं या दायित्वों के लिए या उनके कारण या किसी कार्यवाही या वाद में किसी निर्णय या डिक्री के अधीन या उसके आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष चाहे कोई हो, दायी नहीं होंगे, परन्तु ^{2***} कोई पक्षकार या पक्षकारण जिनकी ऐसे पूर्वोक्त कारण के लिए या उसकी बाबत कोई विधिक या साम्यापूर्ण मांग या दावा हो या जिन्होंने ऐसा पूर्वोक्त निर्णय या डिक्री प्राप्त की हो समादत्त पूंजी, संकलित निधि, भूमि, हवेलियों, धृतियों, दायों और परिसरों से, जो कोई या जहां कहीं हो जो उस समय उक्त संगम के स्वामित्व में हो या जिनके वे उस समय हकदार हों या उनमें से या उनके पूर्ण विस्तार तक ऐसी मांग, दावे, निर्णय या डिक्री की रकम वसूल करेंगे या कर सकेंगे।

32. [उपविधि I]—1854 के अधिनियम सं० 5 की धारा 1 द्वारा निरसित।

33. पूंजी स्टाक में वृद्धि—^{1***} उक्त संगम के लिए विधिपूर्ण होगा कि, अपनी स्टाक पूंजी में वृद्धि करे; परन्तु सदैव यह कि ऐसी वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि स्वत्वधारियों के विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए दो असामान्य अधिवेशनों के मत द्वारा उसे प्राधिकृत न कर दिया जाए जिन अधिवेशनों में से दूसरा पहले से कम से कम तीन कलेण्डर मास पश्चात् किया जाएगा।

34. मूल स्वत्वधारियों को अभिदाय करने का प्रथमतः विकल्प—^{1***} ऐसी वृद्धि की दशा में, मूल स्टाक के स्वत्वधारी अभिदाय करने के लिए बाध्य नहीं होंगे परन्तु उनको पूंजी स्टाक में उस शेयर के अनुपात में जो हर एक मूल पूंजी स्टाक में रखता है वृद्धिगत पूंजी स्टाक प्रतिश्रुत करने का प्रथमतः विकल्प होगा और अतिरिक्त पूंजी स्टाक का उतना भाग जितना वृद्धि के लिए अन्तिम संकल्प के पारित होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर मूल स्टाक के उक्त स्वत्वधारियों द्वारा अभिदत्त नहीं कर दिया गया है, जनता के लिए खुला होगा और लोक नीलामी द्वारा उक्त संगम के फायदे के लिए विक्रय किया जाएगा।

35. अधिनियम के उपबन्धों का अतिरिक्त स्टाक को लागू होना—^{1***} उक्त संगम के मूल पूंजी स्टाक से संबंधित इस अधिनियम में अधिकथित सभी नियम किसी अतिरिक्त स्टाक को लागू होंगे जो इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में प्रतिश्रुत किया जाए।

36. ईस्ट इण्डिया कम्पनी को शुफा का अधिकार होगा—^{1***} यदि उक्त संगम इच्छुक हो कि उक्त संगम द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी से क्रय किए गए किसी परिसर का व्ययन किया जाए तो उक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी को शुफा का अधिकार होगा और कीमत दो मूल्यांककों द्वारा नियत की जाएगी, एक उक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से नामित किया जाएगा और दूसरा उक्त संगम के निदेशकों द्वारा नामित किया जाएगा; और यदि उक्त मूल्यांकक कीमत पर सहमत न हों तो कीमत उक्त मूल्यांककों द्वारा नामित मध्यस्थ द्वारा नियत की जाएगी।

37. [सपरिषद् गवर्नर जनरल के आदेश द्वारा संगम का विघटन]—1854 के अधिनियम सं० 5 की धारा 1 द्वारा निरसित।

38. स्वत्वधारियों की प्रस्तावना द्वारा संगम का विघटन—^{1***} उक्त संगम का विघटन किसी भी समय दो उत्तरवर्ती असामान्य अधिवेशनों में, जो ऐसे विघटन की समीचीनता पर विचार करने के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए हों अर्हता प्राप्त स्वत्वधारियों की संख्या और मूल्य में दो तिहाई से इस हेतु एक संकल्प द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसे दो असामान्य अधिवेशनों में से पहले और दूसरे की बीच कम से कम तीन मास व्यतीत हो गए हों।

39. विघटन पर संपत्ति का विभाजन—^{1***} जब कभी उक्त संगम के विघटन का आदेश ^{3[केन्द्रीय सरकार]} द्वारा या उक्त संगम के मत द्वारा किया जाए तो उक्त संगम के निदेशक उक्त संगम की सभी सम्पत्ति को धन में परिवर्तित करवाएंगे और उक्त संगम के ऋणों को चुकाने के पश्चात् जो कुछ शेष रह जाएगा उसे स्वत्वधारियों के बीच शेयरों के उस अनुपात में विभाजित कर देंगे जो स्वत्वधारी उक्त संगम के पूंजी स्टाक में रखते हैं, और ऐसे वितरण के पश्चात् उक्त संगम तुरन्त विघटित कर दिया जाएगा।

¹ 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का लोप किया गया।

² 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्द का लोप किया गया।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् भारत का गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुसूची संख्यांक 1

शेयरोँ के स्वत्वधारियों की सूची

आर०एच०काकिरेल	डब्ल्यू बेरिंगटन, कैप्टेन	डब्लू० फ्रीथ कैप्टेन
डब्ल्यू० स्पायर	टी०सी० राबर्टसन	जैम्स काल्कूहान
डब्ल्यू० मार्टिन	रामदास डे	जेम्स चर्च
आर० स्पायर	बोनोमाली मल्लिक	एडवर्ड हार्डिंग
टी० स्पायर	ए० मुल्लर	हेनरी मूर
जे० एस० ब्राउनरिंग	चार्ल्स ट्रबक	आर० वाटसन
जे० काकिरेल	टी० बोरिंग	मिसेज बी० बेट्टी
जी०जी०डे० एच० लारपैट	जे० डब्लू अलेक्सैन्डर	हेनरी मेकन्जी
जे० सेण्ट पोरकेन	टी० बी० स्विन्हो	एडम स्काट एण्ड को०
जे०एम० डब्	राबर्ट स्विन्हो	होलोधर चौधुरी
गंगाप्रसाद गोसाँई	ए० डब्स	चार्ल्स एस० गोवर
रामचन्द्र सीयल	जान वाटसन	के० बी० मेकन्जी
जे० विलिस	टरानीहर्न	एस० आर० क्राफर्ड
डब्लू अर्ल	चेटरजी	टी० ए० शा
डी०विल्स	जी० हर्कलाट्स जूनियर	डब्लू० ए० शा
टी० विल्स		एच० वाल्टर्स
जे० मास्टर	एफ० ओ० वेल्स	जे० इन्नेस
जी०सी०एस०मास्टर, लेफ्टिनेन्ट	सी० लंकास्टर	डब्लू० एडम्
न्यासी, मिसेज	सी० लंकास्टर, न्यासी मिसेज कॉर्निश	जोजेफ वर्दिगटन
लीमाइस मेरेज	के लिए मेरेज सेटलमेन्ट	जेम्स कल्लेन
सेटलमेन्ट	जार्ज डूगल	जे०सी० पामर
जे० डब्लू० जे० ऊसले	जान रिचर्ड्स	ए० कोलविन
कैप्टेन	ब्रूस, शांन एन्ड को०	डब्लू० एन्सली
जी०ए० प्रिन्सेप	जी० डब्लू० ए० लाइड, लेफ्टिनेन्ट कर्नल	एच० कावी चार्ल्स सी० ब्रूस
टी०एस० अंबवीटिल, लेफ्टिनेन्ट कर्नल	जे० रेन्केन एम० डी०	देवनारायाण दे
	वृजोबल्लव दास और	विलियम ब्रूस
डब्ल्यू० एच० मार्टिन ए० इर्विन, मेजर	गोकुल दास	मिसेज कर्नल लाइड के न्यासी
डब्ल्यू ए० पीकाक	ए० एस० स्टाफोर्ड	
जे०ए० मूर, मेजर	ए० बेट्टी	डब्लू० रीलेन्ड
टी० डब्लूबर्ट	विलसन फ्रिथ एण्ड को०	एम० ह्यूस कैप्टेन
विलियम ब्रेडन	जी० सी० अर्बथनाट	आनन्द चन्द्र मिस्त्र
फ्रान्सिस मेक्नाटन	ए० जेक्सन	जे० ए० वाकर
कार, टेगोर एण्ड को०	ए० एस० गलेडसन	टी० हाइड गार्डिनर
डब्लू० कार मिरेज डिक के	जे० क्रेगी लेफ्टिनेन्ट कर्नल	जे० सी० ओबेन

मेरेज सेटलमेन्ट के लिए न्यासी	जे० विलियम्स	दुर्गाचरण बोस
राबर्ट लायल	जे० बी० हिगिन्सन	राज किशोर लाहोरी
महेश चन्द्र मित्तर	मेघनारायण राय	गौरमोहनकून्डू
प्राण किश्टो दास	रामनारायण मुखर्जी	एस० हार्नबी
	दुर्गा चरण मुखर्जी	हरीशचन्द्र बोस
	गौरीचरण मुखर्जी	रामसुन्दर मल्लिक
कोनाई लाल और मुकन लाल	आई० बी० बिस	राज चन्द्र बोस
जे० रोस्टान, जूनियर	जे० एस० बिस	राधानाथ दत्त
जे० एच० रोस्टान	रघुनाथ कूनो	एच० बेरो
मादोबचन्द्र सेन्डेल	डब्लू० ई० गिब्वन	गोदाधर मित्तर
दयालचन्द्र बिसाक	जे० काक	ई० डी० कूज
गोपीकिशन पाल	एच० एफ० किंग	गोकलचन्द्र दुर
गोपीकिशन पाल मिसेज ए० जी०	जेम्स हिल	लकीनारायण डे
ग्लास के लिए	डब्लू रशटन	टी० ब्लेकिन्डन
गोपीकिशन पाल ई० बी० स्क्वेयर	ए० जे० स्टर्मर	डब्लू० स्टैसी
जूनियर के लिए	बोलोरान डे	जे० जार्ज
चार्ल्स लायल	अब्बोईचरण मुखर्जी	मिसेज सी० शलबर्टन
जान लायल	बोलीचन्द्र बिसाक	सी० शलबर्टन
डेविड लायल	मिसेज सारहू मेस	काशिनाथ बनर्जी
डब्लू० टी० डावेस	डब्लू बैरेट	पी० एस० डी० रोसारिक
कोलवाइल गिलमर एण्ड को०	हरीमोहन मुखर्जी	जे० डी० एम० साइनाइस
अलेक्सैन्डर रोजर्स	मोहन चन्द्र घोष	न्यासतः मिस जे० एफ०
जे० एच० क्राफर्ड	हरीमोहन बनर्जी	स्पीड के लिए
ए० पोर्टियुस	किशनमोहन सील	गौराचन्द्र बोस
जे० मेके एण्ड को०	हरीचन्द्र बोस	जे० ई० दून
जेम्स मेकन्जी	जे० पी० मार्किस	डी० डब्लू० एच० स्पीड
पी० जे० सार्कीस	मिसेज ब्रूस	
जी० कोलियार	मिस एल० डब्ल्यू० ब्रूस	राजकिशन डे
आर० बर्ड	जोजेफ ब्रूस	जोमेजाम बोस

अनुसूची संख्यांक 2

कलकत्ता बंगाल बन्धपत्रित भाण्डागार संगम

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ किने संगम के भाण्डागार में निम्नवर्णित माल जमा किया है जिस माल को संगम उस पर प्रभार्य भाड़े और आनुषंगिक प्रभार तथा सरकारी शुल्क या सीमाशुल्क के संदाय के पश्चात् मांग पर उक्त या उनके समनुदेशितियों को या इस वारन्ट के धारक को जिसे वह पृष्ठांकन करके अन्तरित किया जा सकेगा, परिदत्त करने का वचनबद्ध करता है।

सचिव